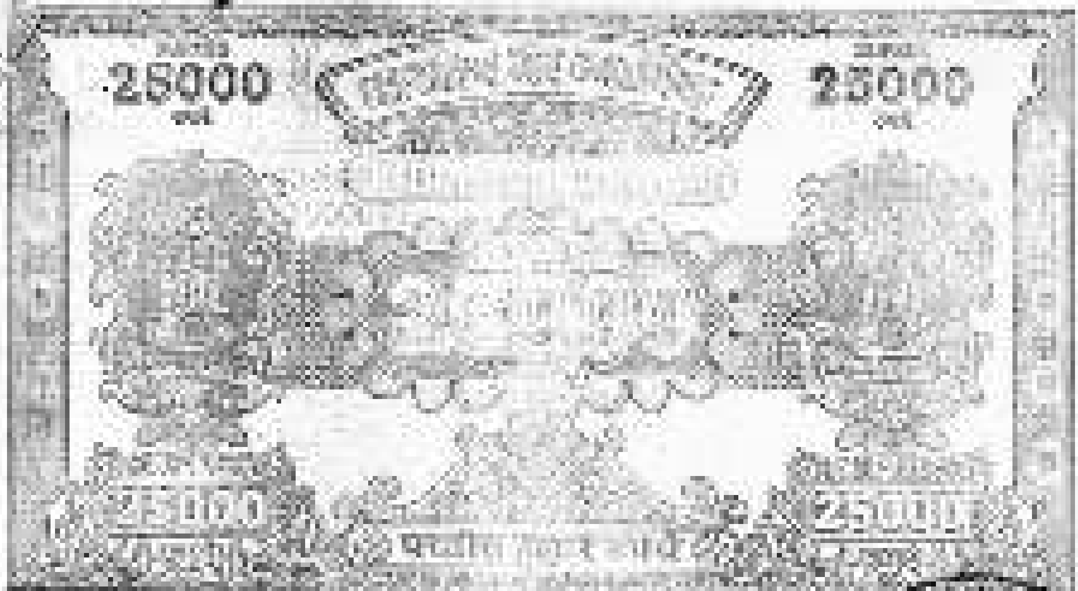

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

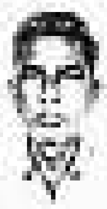

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि	रु0 54,954/-
बाजार मूल्य	रु0 26,92,750/-
अदा किये गये स्टाम्प शुल्क	रु0 5,50,000/-

1.	भूमि का प्रकार	-	भूमि
2.	परगना	-	[illegible]
3.	ग्राम	-	[illegible]
4.	सम्पत्ति का विवरण	-	भूमि खसरा संख्या 794 स्थित

25000 INDIA NON JUDICIAL 25000

25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0.295 हे0 का पूर्ण भाग, दूसरा संख्या 240 रकबा 1.238 हे0 का पूर्ण भाग इस प्रकार कुल विक्रीत

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

)

रकबा 1.533 हे0 स्थित ग्राम- [illegible], परगना, तहसील व जिला लखनऊ।

25000 INDIA NON JUDICIAL 25000

25000

25000 25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

397534

-4-

5.	माप की ईकाई	–	हेक्टेअर
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	–	1.533 हेक्टेअर
7.	सड़क की स्थिति	–	सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ पर है

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

397554

-5-

लगभग 200 मीटर से अधिक

8. सम्पत्ति का प्रकार - कृषि

9. पेड़ों की स्थिति - नहीं

25000 25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000 25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 397555

10. बोरिंग/कुआं अन्य - कुछ भी नहीं है।

<u>चौहद्दी खसरा नं0 794</u>

उत्तर : खसरा नं0 805

25000 25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000 25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

197556

7

प्रेषक : नकोड

द्वारा : चकोंद

लोकेशन : अमर 70-803

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000 25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 397537

8

<u>चौहद्दी खसरा नं० 749</u>

उत्तर : भाग नं० 750

दक्षिण : चकरोड

25000 25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000 25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

397558

5

पूरब : खसरा नं0-749, 750

पश्चिम : खसरा नं0-746, 747

प्रथम पक्ष की संख्या 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 397554

विक्रेता का विवरण :	क्रेता का विवरण
रामलाल पुत्र [illegible] निवासी ग्राम [illegible] [illegible].	कृष्णपाल पुत्र [illegible] निवासी ग्राम मिर्जापुर [illegible] [illegible] [illegible].

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000 25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

397360

तहसील व जिला लखनऊ।	तहसील व जिला फतेहपुर।
व्यवसाय- कृषि	व्यवसाय- कृषि

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 397561

-1-

4. विक्रय लिखित रामदास पुत्र श्री [illegible] तिवारी ग्राम [illegible] परगना, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है तथा कृष्णकान्त पुत्र श्री [illegible] तिवारी ग्राम मिर्जापुर तिवारी पोस्ट [illegible], लखनऊ ।

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1 MAY 2007

जिला फतेहपुर जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

RUPEES 25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000 25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

397669

यह कि विक्रीत भूमि खसरा संख्या 794 रकबा 0.295 है0 का पूर्ण भाग, खसरा संख्या 748 रकबा 1.238 है0 का पूर्ण भाग इस प्रकार कुल विक्रीत रकबा 1.533 है0 स्थित ग्राम- अहमामऊ, परगना, तहसील व

25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000 25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

...397564

2007

जिला लखनऊ का मालिक, काबिज व काबिज है तथा उपरोक्त सम्पत्ति

फसली ... खतौनी क्रम सं० 01303, 00273 ——— के अनुसार

भूमि विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेता ने

25000 INDIA NON JUDICIAL 25000

25000

25000 पच्चीस हजार रुपये 25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 397566

नाम से उक्त मकान राजस्व अभिलेखों में दर्ज चला है। विक्रेता अपना

सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को रु. निश्चय विक्रय द्वारा बेच रहा है विक्रेता

उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व दाखिल है एवं वर्तमान समय

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1 MAY 2007

17

में दर्ज कृषि भूमि भूमि है और उक्त भूमि मरघट भूमि का हिस्सा नहीं है। पक्ष के विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने जो भी

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 3 -

विक्रय के पूर्व कहीं दान, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऋण आगे भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

397568

विक्रेता व उसके परिवार व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि का उसपर कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा अन्य

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 397569

भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उल्लेखित सम्पत्ति के स्वामित्व कुल विक्रय मूल्य रू0 [illegible]/- के

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0 451858

1 MAY 20

प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदनुसार उक्त विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000
पाँच हजार रुपये

Rs.5000
FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8 431872

उक्त क्रेता ने अब उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को खरीद लेना किया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 451873

करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समान अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 451874

हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता व उसके वारिसान आदि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उसके दाखिलान निष्प्रभावकरण इत्यादि के करने या अधिकार या स्वत्व में निकल जाये तो क्रेता उसके दाखिलान, निष्प्रभावकरण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल,

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 851877

अवार सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 260003

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,

21.8.2012

(signature)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है ।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा

अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है ।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 260007

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति को दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया निकले तो

यदि बाद इस सम्पत्ति पर शेष हो तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, क्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम [illegible] अर्धनगरीय क्षेत्र के अतिरिक्त ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रु0 17,50,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 1.533 हेक्टेयर की मालियत रु0 26,82,750/- होती है तथा विक्रय मूल्य भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0 5,50,000/- स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की अकृषिक गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है तथा 200 मी0 के आसपास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अन्दर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

<u>परिशिष्ट: भुगतान विवरण</u>

1. विक्रेता को रु0 50,00,000/- द्वारा चैक संख्या- 566995 दिनांकित 04.05.2007 पंजाब नैशनल बैंक, [illegible] लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

[illegible]

[illegible] 2,081,000.00 [illegible] 40 [illegible]

[illegible]

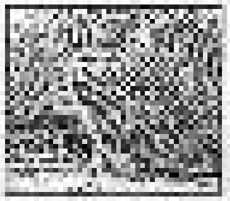

[illegible]

पेशा: कृषि

[illegible] 5/5/2007 [illegible] 11:02 PM

[illegible]

ओ.पी. सिंह

उप निबंधक (द्वितीय)

लखनऊ

5/5/2007

[illegible]

[illegible]

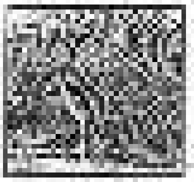

[illegible]

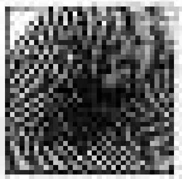

[illegible]

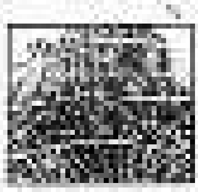

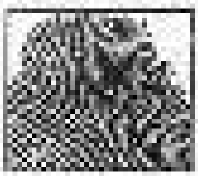

[illegible]

ओ.पी. सिंह

उप निबंधक (द्वितीय)

लखनऊ

5/5/2007

2. विक्रेता को रू0 4,90,439/- द्वारा चैक संख्या- 566996 दिनांकित 04.05.2007 पंजाब नैशनल बैंक, [illegible] लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य 54,90,439/- (रूपया चौवन लाख नब्बे हजार चार सौ उन्तालीस मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करती है।

नोटः- पृष्ठ संख्या 1 की सतर 2 में 54,90,439/- व सतर 4 में 5,50,000/- व पृष्ठ संख्या 20 की सतर 3 में 54,90,439/- पेन से लिखा हुआ है।

लखनऊ

दिनांक : 04.05.2007

गवाह क्रेता की पहचान की

1. विनोद पाठक
S/o हरि शंकर पाठक
[illegible]
लखनऊ

विक्रेता

क्रेता

2. विक्रेता की पहचान की
श्री मोहन लाल
S/o महावीर प्रसाद [illegible]

टाईपकर्ता
(एम0 कुमार)
सिविल कोर्ट, लखनऊ।

मसविदाकर्ता
(विवेक कुमार सिंह)
एडवोकेट

[illegible]

Registration No: 1166 Year: 2007 Book No: I

0101 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

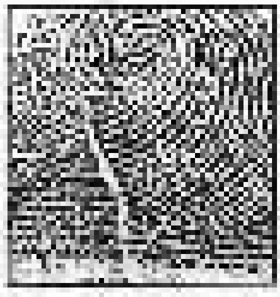

[illegible] [illegible] [illegible]

खसरा नं 774

रकबा 1.533 हे.

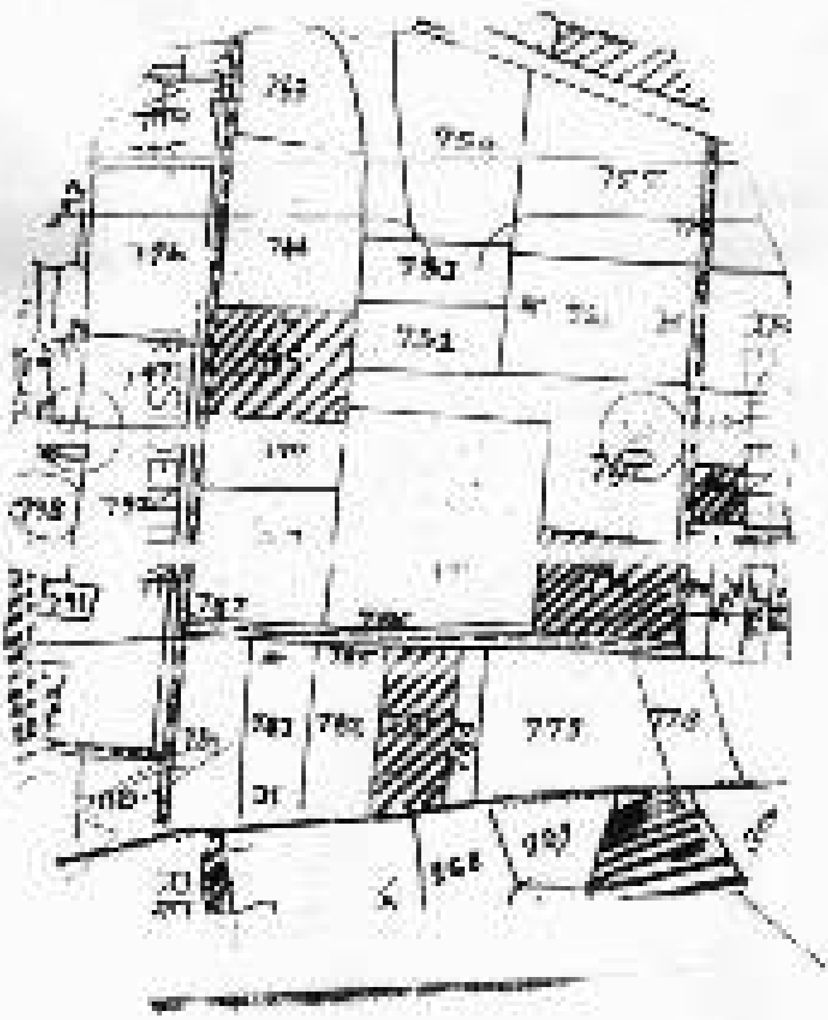

[illegible]

[illegible]

क्रेता

Registration No. 4464 Year : 2007 Book No. 1

0201 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा-32(क) के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता- रामलाल पुत्र नोखे निवासी ग्राम अहमामऊ परगना, तहसील व जिला लखनऊ ।
बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:

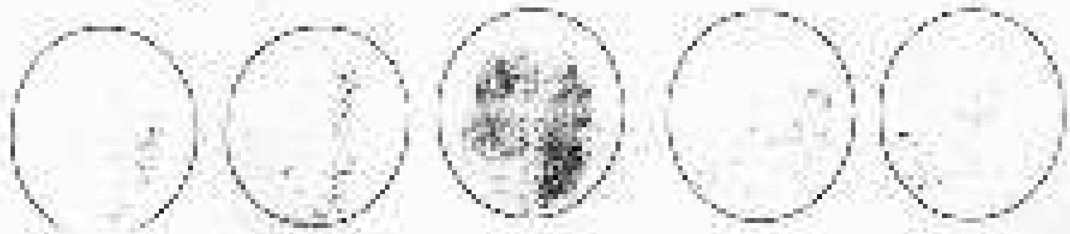

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता का नाम व पता- कृष्णपाल पुत्र मौजी निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो0 नौबीन, तहसील
बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर